International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 7 Issue 3, May-June, 2019, Impact Factor 3.275

भिक्षावृत्ति: एक सामाजिक समस्या

डॉ0 अनिल कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)

परिचय

भारत एक महान देश है, यहाँ की परम्पराए भी अत्यंत प्राचीन एवं महान है| हमारे यहाँ दान–पूण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग स्वीकार किया गया है जब दान देना एक धार्मिक कृत्य मान लिया जाए तो स्वाभाविक है कि दान लेने वाले भी तैयार करने पड़ेंगे | हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी हमारे समाज के तथाकथित धर्मात्मा, दयालु तथा सज्जन लोगो ने की है | भिखारी को दिया गया पैसा नये भिखारी पैदा करते है,लगातार आर्थिक तरक्की कर रहे भारत में एक तरफ अरबपतियों की लम्बी कतार बनती जा रही है तो दूसरी ओर देश में ही एक तबका भीख मांग कर पेट भरने को मजबूर है|

भिक्षावृत्ति आधुनिक होते भारत के माथे पर कलंक की तरह हैं. मंदिरों, मस्जिदों या किसी भी धार्मिक स्थल पर भिखारियों का जमवाड़ा लगा रहता है. दो जून की रोटी को तरसते देश के लाखों गरीब अस्पतालों, बस अडडों, चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति को मजबूर हैं. कानूनी प्रावधानों के ज़रिये भिक्षावृत्ति पर रोक की कोशिशें अब तक असफल ही साबित हुई हैं. भिक्षावृति को कानूनन अपराध घोषित करने के बावजूद भिखारियों की तादाद कम नहीं हुई|

भिक्षुक कौन ¥

- भिक्षावृत्ति करने वालों में पहली श्रेणी उन लोगों की है जो गंभीर शारीरिक अस्वस्थता, असाध्य रोगों, विकलांगता के साथ ही गरीबी से पीड़ित हैं और जीवित रहने के लिए उनके पास कोई और साधन नहीं है।
- दूसरी श्रेणी में वे बूढ़े और असहाय लोग हैं, जिन्हें परिवारों से जबरन निष्कासित कर दिया गया है।
- तीसरी श्रेणी में ऐसे बेरोजगार शामिल हैं, जो पूरी तरह निराश हो चुके हैं और जिनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है।
- चौथी श्रेणी में भिक्षावृत्ति करने वाले ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने इसे अपना धंधा बना रखा है और बिना कुछ किए, इसे ही अपनी कमाई का साधन मानते हैं।
- पाँचवी श्रेणी में ठगी करके, पैसा इकठ्ठा करने की कोशिश करने वाले लोग हैं।
- छठी श्रेणी में असामाजिक तत्वों के चंगुल में फंसे ऐसे लोग हैं, जिनसे अलग–अलग स्थानों पर, नियोजित ढंग से भीख मंगवाई जाती है और अपराधी तत्व, उस भीख का बहुत थोड़ा हिस्सा, उन भीख मांगने वालों को दे देते हैं।

भारतमेंभिक्षावृत्तिएवंभिक्षुकों की वर्तमान स्थिति :-

भारत आर्थिक दृष्टिसे विकासशीलदेशों की श्रेणी मे आता है, अतः निर्धनता, बेरोजगारी, अपर्याप्त आर्थिक संसाधन, अस्थिर आर्थिकढांचा आदि तत्व भिक्षावृत्ति को वर्तमान में बढ़ावा दे रहे है। समाजकल्याणमंत्रालयकी 2016 की रिपोट के अनुसार राज्यों की दृष्टिसे सर्वाधिक भिखारियों की जनसंख्या पश्चिम बंगाल में पायी जाती है, तत्पश्चात उत्तर प्रदेश एवंबिहार क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर आते है। उत्तर प्रदेश में 65835 भिखारी हैं। रिपोट केअनुसार पूर्वात्तर राज्यों में भिखारियों की संख्या बहुत कम है उदाहरणतः अरूणाचल प्रदेश में मात्र 14, नागालैण्ड में 124, तथा मिजोरम में मात्र 53 भिखारी हैं जबकि संघ शासित प्रदेश में दमनदीप में 22 तथा लक्ष्यद्वीप में 2 भिखारी हैं। सामाजिक कल्याण मंत्रालय की इस सूची में पर्वतीयप्रदेश में भी भिखारियों की जनसंख्या काफी कम है, जैसे कि उत्तराखण्ड में 3,320 हिमाचल प्रदेशमें 809 तथा दिल्ली में 2,187 भिखारी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के भिखारियों में 21 प्रतिशतभिखारी शिक्षित है, यदि धर्म एवं सम्प्रदाय के आधार पर भिखारियों का वर्गीकरण किया जाये जोनिम्नलिखित है।

धर्म/सम्प्रदाय	भिक्षुकोंकी जनसंख्या प्रतिशत	भारत की जनसंख्या में प्रति भिक्षुकों की जनसंख्या प्रतिशत हिस्सा
हिन्दू	72.2%	79.80%
मुस्लिम	24.9%	14.23%
ईसाई	0.88%	3.30%
सिख	0.45%	1.72%
बौद्ध	0.52%	0.72%
जैन	0.06%	0.70%
अन्य	0.3%	0.37%
अज्ञात	0.62%	0.66

स्रोत – भारत की जनगणना 2011

कानून और पुनर्वास की मांग:-

सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता लम्बे समय से एक ऐसे कानून की मांग करते आये हैं जिसमें भिखारियों को अपराधी मानने की बजाय उनके पुनर्वास पर जोर हो. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी इसी मत की हैं. उनका कहना है, 'भिक्षावृत्ति पर एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जो समाज के संवेदनशील वर्ग के पुनर्वास और सुधार पर जोर डालता हो, न कि इसे गैर कानूनी मानता हो." भिक्षावृत्ति पर कानून और पुनर्वास की मांग करते हुए मेनका गाँधी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर विस्तृत कानून लाने का आग्रह किया है. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि पहले से ही संवेदनशील वर्ग को इसके लिए अपराधी घोषित करने की बजाए कानून में उसके पुनर्वास और सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए|

भिक्षावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए अब तक दिल्ली सहित अधिकतर राज्यों ने भिक्षावृत्ति को रोकने से जुड़े बम्बई भिक्षावृत्ति अधिनियम, 1959 को अपनाया है, जिसके तहत पुलिस अधिकारी को बिना वॉरंट के किसी भिखारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है| इन दिनों केंद्र सरकार नए विधेयक पर काम कर

रही है जिसके तहत भीख मांगना अपराध नहीं होगा. इसके अनुसार, बार–बार भीख मांगने पर लोगों को सिर्फ पुनर्वास केंद्रों में रखा जा सकता है|

साहित्य समीक्षा:-

अशोक कुमार (2007):-दिल्ली विशवविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षणअध्ययन से स्पष्ट हुआ है, कि यह हमेशा जरूरतों से ही उदभूत यह आवशयक नही बहुत बार यहलालच तथा अधिक धन प्राप्त करने की आकांक्षा से प्रेरित होती है। दिल्ली की सड़को पर रहनेवाले 5000 भिक्षुकों पर किये गये अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ कि, इनमें से 799 पुरूष तथा 1541 महिलाऐं पूरी तरह स्वस्थ थे। उनमें से 4 परास्नातक थे, जो अतिरिक्त कमाई हेतु सप्ताह मेंएक बार भीख मांगते थे। जबकि 6 स्नातक और 196 बारहवी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त किये हुये थे।इनमें से अधिकांश नशे की लत को पूर्ण करने के लिये छोटे–मोटे अपराध भी कर देते है।

अतः स्पष्ट होता है कि स्वस्थ शरीर वाले लोग भी इस लाभप्रद व्यवसाय मेंशॉमिल है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार वे उन्हे गिरफतार करने से अधिक भगाना पंसद करते है। क्योंकिन्यायालय भी भिखारियों की अपेक्षा इनके गिरोह चलाने वालों को सजा देता है।

सेवा सईद (2013):-मुम्बई शहर पर आधारित यह अध्ययन गुणात्मक तथा गणनात्मक पद्धतिकेमाध्यम से किया गया है। इसमें श्रव्य दृष्य डाम्यूमेटरी द्वारा गुणात्मक साक्षात्कारकिये गये। इसमें स्पष्ट किया गया कि भिक्षावृति केवल दयनीय स्थिति से ग्रस्त लोगो की आय कासाधन मात्र नही है, अपितु –वृहद आपराधिक तंत्र द्वारा लाचार एवं बेसहारा बच्चों द्वारा कराया जानेवाला एक रोजगार उन्मुख कार्य है। भिक्षावृति व्यवसायिक अपराधियों का तन्त्र है, जो डर कासहारा लेकर अपने कार्य सम्पादित कराते है। एक अन्य तथ्य यह भी उजागर हुआ है कि भिक्षावृतिका कार्य काफी धर्म निरपेक्ष रूप से सम्पादित किया जाता है। वास्तविक रूप में यह एक सामाजिकआर्थिक समस्या है, जिसे एक धर्म निरपेक्ष विधि द्वारानियंन्त्रित करने का प्रयत्न किया गया है।

बी.के. दास (2017):-दास ने अपने अध्ययन ''एंटी बैगरी लॉस इन इण्डिया : ए क्रिटिकल एनालिसिस'' में भारतीय सन्दर्भ में भिक्षावृत्ति का विधिक अध्ययन किया। इन्होनें स्पष्ट किया किभिक्षुकों को दान देने की भारत में एक प्रथा बन गयी है। इसी कारण यह एक संस्थापित व्यवसायके रूप में विभिन्न समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन समूहोंके नेता भी होते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण जीवन यापन के साधनोंको अपनाने, सामाजिक–आर्थिक हितों के संरक्षण की गारण्टी देता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 21 के तहत शोषण मुक्त और सम्मानपूर्ण जीवन को एक मौलिक अधिकार माना है, परन्तु भिक्षुकों की वास्तविक स्थिति इन अधिकारों को तिरोहित करती है। विभिन्न राज्यों कीभिक्षावृत्ति निषेध विधि उन लोगों को दण्डित करती है जिनके जीवन का सहारा ही मात्र भिक्षावृत्तिहै, इसी कारण बहुत से बेकसूर लोग इन विधियों के अन्तर्गत दण्डित हो जाते है। निष्कर्षतः दासने स्पष्ट किया कि केवल कानूनी प्रावधान इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस समस्याके उपचार हेतु सरकारी नीतियों का वास्तविक क्रियान्वयन तथा रोजगार परक संसाधनों के सृजनसे ही हो सकता है।

मनदीप सिंह (2017):-इन्होने अपनी पुस्तक बैगर्स कोड में यह तथ्य उजागर किया कि

अधिकांशतः भिखारी दैनिक मजदूरों के अपेक्षा अधिक युवा स्वस्थ होते है। शोध के दौरान यह भीपाया कि बहुत से मामलों मेंअंशिक विकलांगता को गम्भीर रूप में प्रस्तुत करके लोगो का ध्यानअपनी ओर आकर्षित किया जाता है। यह प्रदशर्न पूर्णरूपेण मिथ्या उद्देश्य अपनी विकलांगता कोएक व्यवसाय का साधन बनाकर धन कमाना है। तथ्य संकलन के लिये अवलोकन के दौरान पायागया बहुत बार भीख न देने पर लोगों को बेइज्जत भी किया जाता है। इस अध्ययन में इस मिथकको भी तोड़ा गया कि भिखारी गरीब होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि निर्धन व्यक्ति भूख से मरजाते है, परन्तु भिक्षावृत्ति को नही अपनाते, जबकि भिखारी गरीबी रेखा से ऊपर आने के बाद भीभिक्षावृत्ति को नही छोड़ते।

भिक्षावृत्ति के संबंध में कानूनी प्रावधान

भारत में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिये लगभग 22 राज्यों एवं संघ–राज्य क्षेत्रों में कानूनबनाये गये हैं। विभिन्न राज्यों ने भिक्षावृत्ति निषेध हेतु निम्नलिखित कानून बनाये हैंः–

(1) बाम्बे भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1959

(2) जम्मू कशमीर भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1960

(3) दिल्ली भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1960

(4) पंजाब भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1971

(5) मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973

(6) उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1975

(7) कर्नाटक भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 1975

(8) सिक्किम भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम 2004

उपरोक्त अधिनियम राज्य स्तर पर भिक्षावृत्ति को निषेध करतें हैं। इंडियन प्रोसिजर कोड़ कीधारा 133 के अनुसार जो व्यक्ति भीख माँगने के लिए अनुचित प्रदशर्न करते पाये जायें तो वह दण्डके भागीदार होगें। कानूनी प्रावधानों के अनुसारपुलिस को भिखारियों को गिरफ्तार करने काअधिकार मिला हुआ है। परन्तु इन अधिकारों का क्रियान्वयन ना के बराबर ही हो पाता है।

महाराष्ट्र ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 पारित किया था, जिसके अनुसार भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। इसी कानून को 1960 में दिल्ली ने भी अपनाया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में अब तक भिक्षावृत्ति के संदर्भ में कोई केन्द्रीय कानून नहीं हैं। बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 को ही आधार बनाकर 20 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों ने भी अपने यहाँ कानून बनाये हैं।

बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधानः-

- यह अधिनियम भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करता है। इस अधिनियम में भिक्षावृत्ति की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति को शामिल किया गया है, जो गाना गाकर, नृत्य करके, नाटक या तमाशा दिखाकर भीख माँगता है।
- आजीविका का कोई साधन न होने और सार्वजनिक स्थलों पर इधर–उधर भीख माँगने की मंशा से घूमना भी भिक्षावृत्ति में शामिल है।
- इस कानून के तहत भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में तीन साल तक के लिए और दूसरी बार में दस साल तक के लिए व्यक्ति को सजा के तौर पर पंजीकृत संस्था में भेजने का कानून है।

- पकड़े गए व्यक्तियों के आश्रितों को भी पंजीकृत संस्था में भेजा जा सकता है। इसमें प्रमुख प्रावधान यह भी है कि इन संस्थाओं को भी कुछ शक्तियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं जैसे– संस्था में लाए गये व्यक्तियों से कार्य करवाना, अगर व्यक्ति नियमों का पालन न करें तो उसे जेल भी भेजा जा सकता है।
- ये सभी प्रावधान महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थलों पर भीख माँग रहे और घातक बीमारियों से लड़ रहे भिखारियों को एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उन्हें इलाज व अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए किये गए थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णयः-

वर्ष 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित करने वाले कानून बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959 (Bombay Prevention of Begging Act, 1959) की 25 धाराओं को समाप्त कर दिया है। साथ ही, भिक्षावृत्ति के अपराधीकरण को असंवैधानिक करार दिया है। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय भिखारियों के मौलिक अधिकारों और उनके मानवाधिकारों के संदर्भ में दिया है।

जीविकोपार्जन का अधिकारः- अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को आश्रय की सुविधा, भोजन का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार प्रदान करे। यद्यपि कार्य करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया गया है लेकिन यह राज्य का पुनीत कर्त्तव्य है कि वह जनकल्याण के लिए समाज के गरीब, कमजोर वर्गों, दलित तथा जनजातियों को आजीविका का पर्याप्त संसाधन प्रदान करें तथा उनके बीच संसाधनों का न्यायिक वितरण सुनिश्चित करें।

आश्रय का अधिकारः- राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक दलित और आदिवासी को आश्रय की सुविधा प्रदान करे।

मौजूदा कानून में समस्याएँः-

- इसमें पहली समस्या भिक्षावृत्ति की परिभाषा को लेकर है। गायन, नृत्य, तमाशा आदि कुछ समुदायों के लिए आजीविका के साधन हैं। ये व्यवसाय अन्य व्यवसायों से मेल नहीं खाते हैं, सिर्फ इसलिए ऐसे लोगों को अपराधी मान लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।
- किसी असहाय और गरीब व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण कर देना और सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोकना अनुच्छेद 14 के तहत 'समानता का अधिकार' और अनुच्छेद 19 के तहत 'स्वतंत्रता के अधिकार' के विरुद्ध है।
- भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान कल्याणकारी राज्य की भूमिका प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों को भोजन, आवास और रोजगार प्रदान कर उनकी आजीविका को सुनिश्चित करें।
- भारत में भिखारियों की संख्या काफी ज्यादा है। भारत में बड़ी संख्या में भिखारियों का होना सरकार की कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाने पर प्रश्न चि"न लगाता है।

बढ़ती भिक्षावृत्ति के कारणः-

- गरीबीः पिछले कुछ दशकों में गरीबी के स्तर में गिरावट तो हुई है, लेकिन अमीर व गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 37.2 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, साथ ही विश्व के 1/3 (एक तिहाई) गरीब लोगों की आबादी भारत में है।

- मानव–तस्करीः मानव तस्करी भी देश में बड़े स्तर पर फैली हुई है, जो बलात श्रम करवाने और भीख मँगवाने के लिए की जाती है।
- बेरोजगारीः भारत में मुख्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, चक्रीय तथा छिपी हुई बेरोजगारी पायी जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुरुष कार्यबल में कमी देखी गयी है।
- प्राकृतिक आपदाएं: कई बार अकाल, सूखा तथा बाढ़ के कारण भी कुछ लोग भीख माँगने पर मजबूर हो जाते हैं।
- अशिक्षाः देश में अभी भी सभी लोगों तक शिक्षा नहीं पहुँच पाने के कारण लोगों को अनेक घृणित कार्य करने पड़ते हैं। वर्तमान समय में भी भारत की लगभग 74 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है, बाकी (लगभग 26 प्रतिशत) लोग अशिक्षित हैं, यह भी एक कारण है, जिसके परिणामस्वरूप भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है।
- अन्य कारणः भिक्षावृत्ति शुरू करने हेतु न तो किसी पूंजी और न ही किसी श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ लोग काम के प्रति अनिच्छा और अलगाव की ओर झुकाव के कारण भी भीख माँगते हैं।

प्रभाव:-

सामाजिक प्रभावः- समाज में बढ़ती भिक्षावृत्ति का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता जा रहा है। बड़े पैमाने पर भिक्षावृत्ति धंधा बन चुकी है, जिसके अन्तर्गत समाज में अनेक बुराईयाँ जन्म ले रही हैं जैसे– शिक्षित भिखारियों की बढ़ती संख्या, साथ ही भिखारियों में बच्चों की तादाद भी अच्छी खासी है। बड़ी संख्या में बच्चे संगठित गिरोह का शिकार हो रहे हैं, जो उन्हें डरा–धमका कर तथा उनका अंग–भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं। इसके कारण बच्चों के शोषण व अपहरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जिससे समाज में अनेक अपराध जन्म ले रहे हैं जैसे कि– मानव तस्करी, बाल अपराध तथा यौन शोषण आदि। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल जिन बच्चों का अपहरण किया जाता है, उन्हें भीख माँगने के अलावा कारखानों में अवैध बाल मजदूरी, घरों व दफ्तरों में नौकर, पॉर्न उद्योग, वैश्यावृत्ति, अंग बेचने वाले माफियाँ और जबरन बाल विवाह के जाल में फँसाया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे आपराधिक गतिविधियों जैसे– ड्रग्स, हत्या और लूट में भी संलिप्त हो जाते हैं।

आर्थिक प्रभावः- वर्तमान समय में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो यह विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसके बावजूद भारत में एक बड़ा मानवपूँजी भारत के विकास का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही अनेक योजनाएँ भी उचित रूप से क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं। इन योजनाओं में खर्च तो बराबर हो रहा है परन्तु इनका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, जो हमारे देश के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। भिक्षावृत्ति के कारण देश के पर्यटन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है।

मनोवैज्ञानिक प्रभावः- भीख माँगने वाले लोग आमतौर पर गरीबी, बेरोजगारी, बेघर, अशिक्षा और कई सामाजिक बुराईयों जैसे– अपराध, नशा व तस्करी से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग और बहुत से रोगों (कुष्ठ, मिर्गी, त्वचा) से पीड़ित होते हैं। उनमें मानसिक तौर पर अलगाव तथा कुण्ठा की भावना घर कर जाती है। महिलाएँ भी अश्लीलता, अनुचित शब्द, यौन शोषण तथा

उत्पीड़न का शिकार होती हैं। इनके बच्चों का भी शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है और वे कुपोषण, अशिक्षा तथा अनेक रोगों (कम लम्बाई, वजन में कमी तथा मानसिक विकार) से पीड़ित होते हैं।

सरकारी प्रयास:-

- मानव तस्करी को भारतीय दण्ड संहिता (1860) के अन्तर्गत एक अपराध घोषित किया गया है।
- संशोधित किशोर न्याय कानून, 2015 में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के अनुसार बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु संशोधित कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। संशोधित कानून की धारा–76 के तहत बाल भिक्षावृत्ति के लिए दोषी को पाँच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बच्चों के अंग–भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति कराने के लिए दोषी को सात से दस साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- आयोग चिल्ड्रेन हेल्पलाइन, गैर सरकारी संगठनों और प्रशासन के साथ मिलकर भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगा।
- देश के 20 राज्य व 2 केन्द्रशासित प्रदेश भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपलिटी एक्ट, पंजाब–हरियाणा में भिक्षावृत्ति निरोधक अधिनियम 1971, मध्य–प्रदेश में 1969-1973 में बने कानून तथा पश्चिम बंगाल में 1943 में बने कानून लागू है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–133 भी कहती है कि जो व्यक्ति भीख माँगने हेतु अनुचित प्रदर्शन करते हुए पाए जाएँगे, वे दण्ड के भागी होंगे।
- भारतीय रेल अधिनियम भी भिक्षावृत्ति का निषेध करता है।
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने हेतु राजधानी दिल्ली से एक देशव्यापी मुहिम शुरू करने जा रहा है।

चुनौतियाँ:-

- सरकार के पास ऐसे आँकड़े मौजूद नहीं हैं जिनसे यह पता किया जाए कि भिक्षावृत्ति मजबूरी है या व्यवसाय।
- समाज को आदर्श रूप बनाने के लिए ही बाल मजदूरी और भिक्षावृत्ति रोकने के लिए विशेष योजना बनायी गयी थी लेकिन तथ्य और प्रमाण साबित कर रहे हैं कि यह लक्ष्य हासिल करने में सरकारें विफल रही हैं।
- जिन राज्यों में भिक्षावृत्ति निरोधक कानून बने हुए हैं वे राज्य सही तरीके से इन कानूनों को अमल में आज तक नहीं ला सके हैं।
- दिल्ली, नोएडा, गुड़गाँव, मुम्बई, कोलकाता आदि शहरों में भीख माँगने वाले गिरोह काफी सक्रिय हैं। इन गिरोहों के मुखिया की पहुँच राजनीति में भी सक्रिय रूप से दिखाई देती है, फलस्वरूप प्रशासन प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर पाता है।
- लोगों में नाकारेपन, आलस्य और कामचोरी की प्रवृत्ति सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं व विकास कार्यों तक सभी लोगों की पहुँच न होना।
- सरकार और विभिन्न संगठनों का दावा है कि भीख को खत्म करने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं और यह कुछ हद तक सफल रहे हैं लेकिन भीख माँगना अभी भी जारी है, जिसके हम भी दोषी हैं।

भविष्यके लिए योजना

- भिक्षावृत्ति को खत्म करके भारत की विश्व रिपोर्टों में जो स्थिति है उसमें भी सुधार किया जा सकता है, जैसे–ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा और शिशु मृत्यु दर इत्यादि। इससे भारत के सामाजिक, आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगारों की संख्या बढ़ाकर, लोगों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाये।
- भिखारियों का पुनर्वास हो साथ ही उन्हें रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए।
- भिक्षावृत्ति निरोधक कानूनों का सख्ती से पालन होना चाहिए।
- सरकार–प्रशासन के साथ–साथ आमजन को भी भिक्षावृत्ति को बढ़ने से रोकना होगा।
- गरीबी उन्मूलन हेतु सरकारी योजनाओं (पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) आदि का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए।
- बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए।
- वृद्ध लोगों के लिए वृद्धाश्रम व्यवस्था सही तरीके से हो और वृद्धावस्था पेंशन योजना तक सभी वृद्ध लोगों की पहुँच सुनिश्चित करना चाहिए।
- राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की कुछ योजनाओं के जरिए भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा है। इनमें पालनहार योजना, निराश्रित बाल गृह, शिशु गृह योजना और पालन गृह योजना आदि शामिल हैं। इस तरह की योजनाओं को विभिन्न राज्य सरकारों को अपनाने की जरूरत है।
- बॉम्बे प्रिवेंशन बेगिंग एक्ट पूरी तरह से लोगों की परेशानी को दूर करने में नाकाम रहा है। यह एक्ट भीख मँगवाने वाले गिरोहों को रोकने में असफल रहा है इसलिए इस पर केन्द्रीयकानून की आवश्यकता है, जो गरीब लोगों तथा भीख माँगने वाले लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करे और उन्हें इस अंधकार से मुक्त कराये।

संदर्भग्रंथ सूची

[1]. Chandra, S. (1967). Sociology of Deviation in India. Bombay, Allied publication.
[2]. Mohan, B. (1972). Indias Social Problem. Allahabd, International publication
[3]. Kumar, A. (2007) Some facts about begging India (The Hindu Report 2 June 2007)
[4]. Saeed. Sheba. (2013) Regulation of Begging in Mumbai: A critique of Religious and secular laws and notions of power (Research of University of Birmingham).
[5]. Das, B.K. (2017) Anti beggary laws in india; A critical analysis. International journal of law 3(3) 161-163. https:www.lawjournals.org
[6]. Singh, M. (2017). Beggars code . Chennai, Notion Press Academy
[7]. सामाजिक समस्याएं – राम आहूजा, रावत प्रकाश , जयपुर
[8]. भारत की जनगणना 2011